रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239305
CG-DL-E-03102022-239305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4400] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 4400] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4597 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1643 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4597 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1643(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4598 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-